

कार्यालय नगर नियोजक (भवन)
कानपुर विकास प्राधिकरण, कानपुर।

पत्रांक-डी/37 /न0नि0(भवन)का0वि0प्रा0 /2020-21

दिनांक:- 30-12-2020

कानपुर विकास प्राधिकरण की अभ्युक्ति एवं पूर्णता प्रमाण पत्र

मेसर्स आईकॉन डेवलपर्स लि0, 35 कन्टोनमेन्ट के पार्टनर श्री राकेश गर्ग द्वारा भूखण्ड संख्या-127/219ए, जूही कला, कानपुर नगर पर विकसित योजना के सम्बन्ध में पूर्व स्वीकृत ग्रुप हाउसिंग मानचित्र के पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र परिशिष्ट संख्या-6 प्रपत्र 'ब' (भाग-'अ'), पंजीकृत वास्तुविद् श्री प्रसून जलोटा के रजिस्टर्ड नं0 सी0ए0/2006/39219 का प्रमाण पत्र (भाग-'अ') पर व रेन वाटर हार्वेस्टिंग के सम्बन्ध में पंजीकृत अनुज्ञापित व्यक्ति का प्रमाण पत्र (भाग-'स') का परीक्षण श्री सुरेश कुमार पाण्डेय एवं श्री बी0राम, अवर अभियंता कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कर लिया गया है एवं प्राधिकरण द्वारा पूर्व स्वीकृत प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग मानचित्र परमिट संख्या-167/444/भवन/14-15 दिनांक-16.10.2014, के अनुसार स्थल पर सम्पूर्ण विकास/निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं पूर्व स्वीकृत रामन/प्रस्तावित मानचित्र परमिट संख्या-73/342/भवन/15-16 दिनांक-04.08.2016, - रामन/प्रस्तावित मानचित्र परमिट संख्या-74/342/ भवन/15-16 दिनांक-07.08.2018 एवं पुन रामन/प्रस्तावित परमिट संख्या-डी/191/एए/प्र0-3/के0 डी0ए0/19-20 दिनांक-22.11.2019 में अंकित समस्त शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पालन करना अनिवार्य होगा।

अतः उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-15 क (2) के अनुसार उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रदान की गयी स्वीकृति दिनांक-17.11.2020 के अनुपालन में निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों के साथ पूर्णता प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाता है।

प्रतिबन्ध/शर्तें-

1. विभिन्न विभागों से प्राप्त अनापत्ति आख्याओं में उल्लिखित प्रतिबन्धों/शर्तों का पालन करना होगा।
2. स्थल पर किये गये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का संचालन विकासकर्ता/रेजीडेन्स वेलफेयर सोसाइटी द्वारा सुचारू/निर्बाध रूप से रखना होगा।
3. रेरा अधिनियम का अनुपालन करना होगा। पार्किंग स्थल का उपयोग केवल पार्किंग प्रयोजन हेतु ही अनुमन्य होगा।
4. किसी भी प्रकार के वाद-विवाद होने अथवा भविष्य में उत्पन्न होने का समस्त दायित्व पक्ष/आवेदक/विकासकर्ता का होगा।
5. भविष्य में का0वि0प्रा0 या अन्य किसी भी विभाग की किसी भी प्रकार की वित्तीय देयता निकलने पर पक्ष/आवेदक/विकासकर्ता को समयान्तर्गत भुगतान करना होगा।
6. समस्त सुविधाओं एवं सेवाओं को चालू रखा जाना अनिवार्य होगा।
7. विकासकर्ता एवं क्रेय करने वाले क्रेताओं के मध्य होने वाले किसी भी विवाद का समस्त दायित्व विकासकर्ता का होगा।
8. पूर्व स्वीकृत प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग मानचित्र परमिट संख्या-167/444/भवन/14-15 दिनांक-16.10.2014 में अंकित समस्त शर्तों एवं प्रतिबन्धों का पालन करना अनिवार्य होगा।
9. समय-समय पर जारी शासनादेशों का पालन करना होगा।
10. किसी भी शर्त/प्रतिबन्ध का उल्लंघन करने एवं किसी प्रकार का तथ्य छिपाने की दशा में निर्गत आवासीय/व्यवसायिक भवन मानचित्र का पूर्णता प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

हस्ताक्षर
पदनाम
कार्यालय की मुहर
दिनांक